न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 66/2007 (आवन्टन निरस्तीकरण)
जीसीएमएस न0 2007/00013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. रामनारायण आत्मज जयकिशन जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जर्ये कायम मुकाम
   1/1 कालूलाल पुत्र रामनारायण
   1/2 बद्रीलाल पुत्र रामनारायण
   1/3 रामजानकी पुत्री रामनारायण
   सर्व जाति जाट निवासीगण ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं सपठित मीडियम माइनर आवंटन नियम 1968 के तहत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक
2. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –22/12/2021

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 92 की रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हे0 भूमि दिनांक 19.05.1984 को कृषि प्रयोजनार्थ कीमतन आवंटन की गई थी जिसकी राशि मूल एवं ब्याज नियमानुसार बकाया है । बकाया राशि जमा करवाने बाबत आवंटी को बार बार नोटिस जारी करने के उपरांत भी आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं करवायी है और न ही राशि जमा करवाने की पुष्टि में कोई चालान / रशीद प्रस्तुत की है । उपरोक्त स्थिति में आवंटी ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 30.4.2007 को पेश किया है ।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया । अप्रार्थीगण की ओर से श्री घनश्याम नागर अभिभाषक उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 92 की रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हे0 भूमि दिनांक 19.05.1984 को कृषि प्रयोजनार्थ कीमतन आवंटन की गई थी जिसकी राशि मूल एवं ब्याज नियमानुसार बकाया है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 6.7.2007 अनुसार आवंटित भूमि के ख0नं0 92 के हाल ख0नं0 135 रकबा 0.88 हे0 दर्ज है । आवंटी के उक्त आवंटन के अलावा ग्राम प्रहलादपुरा में ख0नं0 309 की 0.59 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड है । आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी रामनारायण की मृत्यु पश्चात उसके वारिसों का ख0नं0

जिला कलक्टर
कोटा

135 रकबा 0.88 हे0 पर कब्जा है एवं वर्तमान में भी कब्जा है । अप्रार्थी रामनारायण को ग्राम प्रहलादपुरा के ही खसरा नम्बर 92 में 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 14.1.1966 को आवंटित हुई तत्पश्चात इन्तकाल नम्बर 133 से खाता खारिज हुआ । नामान्तकरण संख्या 172 से पुनः रामनारायण के नाम खाता दर्ज हुआ और दिनांक 1.2.1983 को खातेदारी मिल गई । किन्तु पुनः इसी खसरा नम्बर 92 में रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 19.5.1984 को अप्रार्थी रामनारायण को पुनः आवंटन कर दी गई, जिसके हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 हे0 कायम है, जिसकी बकाया राशि भी अप्रार्थीगण द्वारा जमा नहीं कराई गई है, संभवतया दिनांक 19.05.1984 को किया गया आवंटन दौहरा आवंटन है जबकि इस खसरा नम्बर पर पूर्व में आवंटित भूमि पर अप्रार्थी रामनारायण को खातेदारी मिल चुकी है जिसके नये खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 हे0 जमाबंदी संवत 2077 (2020) अनुसार आज भी खातेदारी में अप्रार्थी के वारिसान के नाम दर्ज है । अतः दिनांक 19.05.1984 को किया गया आवंटन दौहरा आवंटन होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से आवंटन खारिज फरमाया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ही बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण आत्मज जयकिशन जी को ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का मवासा तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 92 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा आराजी दिनांक 19.5.1984 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया तब से ही अप्रार्थीगण के पिता आवंटित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । आवंटन आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 हे0 कायम किया गया जो बाद में गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई । अप्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो गया है बाद स्वर्गवास अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । अप्रार्थीगण के पिता द्वारा आवंटन आराजी पर काफी मेहनत एवं पैसा खर्च करके उपजाउ योग्य बताया है, निरन्तर आज भी अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण द्वारा निरन्तर आवंटन शर्तो की पालना की है तथा आवंटन राशि जमा की है फिर भी अगर कोई बकाया निकलती है तो अप्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा राशि जमा करने को हमेशा तत्पर एवं तैयार रहे है । अप्रार्थीगण के जीवन यापन का एकमात्र सहारा उक्त आराजी ही है । अप्रार्थीगण को आवंटन शर्तो की नियमित रूप से पालना करने एवं काश्त करने की गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण का सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी रामनारायण आत्मज जयकिशन जाट निवासी प्रहलादपुरा को ग्राम प्रहलादपुरा की खसरा नम्बर 92 की रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हे0 भूमि दिनांक 19.05.1984 को कृषि प्रयोजनार्थ कीमतन आवंटन की गई थी जिसकी राशि मूल एवं ब्याज नियमानुसार बकाया होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण हेतु इस न्यायालय में भिजवाया गया । किन्तु पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 6.7.2007 अनुसार एवं जमाबंदी संवत 2032–35 अनुसार अप्रार्थी रामनारायण को ग्राम प्रहलादपुरा के ही खसरा नम्बर 92 में 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 14.1.1966 को आवंटित हुई थी तत्पश्चात इन्तकाल नम्बर 133 से खाता खारिज हुआ एवं नामान्तकरण संख्या 172 से पुनः रामनारायण के नाम खाता दर्ज हुआ और दिनांक 1.2.1983 को खातेदारी मिल गई । जब खातेदारी दिनांक 1.2.1983 को मिल चुकी थी तो पुनः दिनांक 19.5.1984 को पूर्व के ही खसरा नम्बर 92 की 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर आवंटन क्यों किया गया ? वकील अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 हे0 पर कब्जा काश्त होना एवं खातेदारी में दर्ज होने बाबत अंकित किया है । संभवतया दिनांक 19.5.1984 को किया गया आवंटन दौहरा आवंटन प्रतीत होता है चूंकि दिनांक 19.5.1984 को की गई आवंटित भूमि पूर्व में दिनांक 1.2.1983 को ही खातेदारी मिल चुकी है खातेदारी मिलने के उपरान्त आवंटन निरस्त किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है किन्तु पुनः दौहरा आवंटन आदेश दिनांक 19.5.1984 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य पाते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. परिणामतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । दिनांक 19.5.1984 को ग्राम प्रहलादपुरा के ही खसरा नम्बर 92 की 5 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 का किया गया दौहरा आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 14.1.1966 को ग्राम प्रहलादपुरा की ख0नं0 92 की 5 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.88 हे0 खातेदारी में दर्ज भूमि को आवंटी अप्रार्थीगण के नाम यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा